<u>न्यायालय, सिविल जज सि0डि0, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर</u>

<u>फाईनल डिक्री–02/2023</u>

उमाकान्त मिश्र वगैरह...............................डिक्रीदार

बनाम

चन्द्रभूषण मिश्र वगैरह..मदीउन

<u>10.10.25</u> अभिलेख आज डिक्रीदार की ओर से आदेश 26 नियम 10'ए' के अंतर्गत सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–27.06.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। मदीउन की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं है।

अपने अवेदन में डिक्रीदार ने निवेदन किया है कि प्रार्थी डिक्रीदार द्वारा एक विभाजन वाद सं0–248/2000 विद्वान न्यायालय सिविल जज सिनियर डिविजन प्रथम, समस्तीपुर के न्यायालय में वर्तमान मदीउनान को प्रतिवादीगण बनाकर दाखिल की गई जिसमें विद्वान न्यायालय द्वारा सुनवाई कर दिनांक–22.12.2006 को डिक्रीदार/वादीगण के पक्ष में निर्णय पारित की गई एवं उक्त निर्णय सम्पुष्ट हो चुकी है। विदित हो कि वर्णित विभाजन वाद में वादीगण के हिस्से की विवादग्रस्त भूमि में 1/2वॉं हिस्से की प्रारम्भिक डिक्री विवादग्रस्त भूमि मद सं0–1 के निश्वत पारित की गई है। विभाजन वाद सं0–248/2000 में पारित निर्णय के आलोक में फाईनल डिक्री की कार्यवाही करने हेतु डिक्रीदार/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद श्रीमान् के न्यायालय में लंबित है। प्रार्थी डिक्रीदार विभाजन वाद में पारित निर्णय के आलोक में मद सं0–1 की अपने हिस्से की अलग पट्टी कायम कराना चाहते हैं जिसके निश्वत श्रीमान् द्वारा सर्वे ज्ञाता अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करना वो होना न्यायहित में जरूरी वो आवश्यक है। डिक्रीदार श्रीमान् के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिवक्ता आयुक्त शुल्क राशि जमा करने को तैयार हैं। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्रीमान् के द्वारा सर्वे ज्ञाता अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करना वो होना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु आदेश देने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि डिक्रीदार के पक्ष में विभाजन वाद सं0–248/2000 में प्रारम्भिक डिक्री के आलोक में बंटवारा हेतु वर्तमान फाईनल डिक्री में सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त कर भौतिक स्वरुप का न्यायालय में आना अत्यावश्यक है। अत्एव वर्तमान प्रास्थिति में सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति न्यायहित में युक्तियुक्त प्रतीत होती है,। तद्नुसार डिक्रीदार द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन स्वीकृत किया जाता है एवं डिक्रीदार को निर्देश दिया जाता है कि वे सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु निर्धारित न्याय शुल्क नजारत, शाहपुर पटोरी में जमा करें साथ ही सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु रिट की अपेक्षिताएं कार्यालय में दाखिल करें जिसके पश्चात् कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित न्याय शुल्क जमा होने के पश्चात् ही सर्वे जानकार अधिवक्ता नियुक्ति हेतु मनोनयन–पत्र श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, समस्तीपुर के कार्यालय में भेजें।

वाद दिनांक–**30.10.2025** वास्ते दाखिल करने सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त का शुल्क डिक्रीदार की ओर से।

सिविल जज सि0डि0,

शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।